MCM-SKC/3O/5.00

श्री नीरज शेखर (क्रमागत) : हम लोग उसको हमेशा बोलते तो हैं लेकिन उसके लिए करते क्या हैं? 1981 में नाबार्ड को स्थापित किया गया और उसके बाद लगातार इन 36 सालों में नाबार्ड ने काम किया है, कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन फिर भी तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की है। क्यों? धरातल पर काम हुआ कि नहीं। पैसा बढ़ाने से यह जरूरी नहीं कि किसान तक वह पैसा पहुंच जाएगा। हम लोग बात करते हैं कि किसानों को कम ब्याज पर ऋण देंगे। कहते हैं कि 7 परसेंट पर देंगे और अगर वह टाइम पर पेमेंट कर देगा तो वह 4 परसेंट हो जाएगा, लेकिन वह टाइम पर कैसे दे पाएगा? आज किसान की जो समस्या है, एम0एस0पी0 की उसकी जो समस्या है, अगर आज किसान अपने उत्पाद को बेचने जाता है तो क्या उसको पूरा दाम मिल रहा है? आज धान का मूल्य 1,565 रुपए है। मैं तो अपने क्षेत्र बलिया, गाज़ीपुर का ही जिक्र करूंगा कि वहां आज किसान परेशान है, क्योंकि क्रय केन्द्र पर उससे कहा जा रहा है कि इस पर मॉइश्चर आ गया है, इसमें दाग आ गया है, इसको तो हम लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। तो किसान क्या करे? तो किसान उसको बाजार में 1,100 रुपए में बेच देता है। इससे किसान को फायदा क्या हो रहा है? एक तरफ किसान को कहा जा रहा है कि वह ऋण का टाइम पर पेमेंट कर दे। तो वह कैसे टाइम पर पेमेंट कर पाएगा, जब वह लागत लगा रहा है 2,400 रुपए की और उसको हम न्यूनतम मूल्य 1,565 दे रहे हैं और उसको वास्तव में 1,100 मिल रहे हैं। इससे किसान को कैसे फायदा होगा? तो नाबार्ड को देखना चाहिए, जबकि नाबार्ड तो देखता

है कि रूरल बैंक को पैसा मिले। रूरल बैंक आज किसान को पैसा दे रहा है। इसमें बिचौलिए इतने सारे हैं, जिनको पैसा मिल जाता है। वित्त राज्य मंत्री जी, हम लोग देखें कि किसान तक पैसा पहुंचे। आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने इसमें जोड़ा है, मैं इसका स्वागत करता हूं कि माइक्रो, मीडियम, स्मॉल स्केल पर नौजवानों को रूरल एरिया में इस पर ऋण मिलेगा, जिससे कि वे उद्योग लगा सकें, लेकिन हम लोगों को देखना है कि इसकी आड़ में बड़े पूंजीपति न आ जाएं और वहां पर बड़े किसान न आ जाएं। लेकिन पता चला कि छोटा किसान वहीं अपनी एड़ी घिस रहा है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। हम लोगों को यह देखना है। आज कल हम सुनते हैं कि ऋण कैसे मिलता है। हम लोगों को बोला जाता है कि आपको वेयरहाउस बनाना है तो आप पैसा ले लीजिए। मैं देख रहा हूं तथा आप एक का भी केस बतला दीजिए कि किस छोटे किसान का वेयरहाउस है। किसी भी एक छोटे किसान का वेयरहाउस नहीं मिलेगा। इसमें बड़े किसान होंगे, उन्हीं के पास है। फिर इससे क्या फायदा है? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम लोगों का कर्तव्य बनता है, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, अगर कोई भी सरकार आती है, उस पर ध्यान नहीं देती है। हम लोग किसानों के लिए तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। हम लोगों ने कहा कि आप जैसे कह रहे हैं, अभी आपने भी कहा, आदरणीय सदस्य ने कहा कि 2022 तक हम लोग किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। कैसे कर देंगे आप, कैसे होगा यह बताइए? अभी उसको उतना मिल ही नहीं रहा है जितना वह लागत लगा रहा है, तो दोगुनी कैसे हो जाएगी। आज के दिन हम लोगों का कृषि से जी0डी0पी0 17 प्वाइंट कुछ परसेंट है, जिसका मुझे पूरा ध्यान नहीं है। एक समय वह

50 परसेंट था। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि कृषि का जी0डी0पी0 ज्यादा होना चाहिए। अगर हमने किसान को कुछ दिया होता, उसका हाथ बंटाया होता तो किसान जरूर आगे बढ़ता, लेकिन किसान आगे कहां बढ़ा? किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान मर रहा है, किसान बार-बार कह रहा है कि ऋण माफ किया जाए। माननीय वित्त मंत्री जी कहते हैं कि ऋण माफ करने की बात ही नहीं है। इसीलिए सुबह जब प्रश्न आया तो मैं यह पूछ रहा था कि एन0पी0ए0 में बड़े-बड़े उद्योगों का ऋण माफ हो जा रहा है। कह रहे हैं कि उसकी बुक एडजस्टमेंट हो रही है, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा। तो किसानों के लिए भी बुक एडजस्टमेंट कर दो, उनका भी ऋण खत्म हो जाए। यह क्यों नहीं हो सकता? किसान कब तक मरता रहेगा इस देश में? आप एक उद्योगपति बतला दीजिए, 9 लाख, कुछ करोड़ का एन0पी0ए0 हो गया, एक उद्योगपति ने आत्महत्या की हो? वे लाखों करोड़ रुपए का ऋण लेकर डकार जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं और अगर किसान ऋण ले लेता है और वह समय पर वापस नहीं करता है तो उसका ट्रैक्टर खींचा जाता है, उसकी कुर्की होती है, उसके घर पर नोटिस लगा दिया जाता है, लेकिन वह चाहे आत्महत्या कर ले शर्म के मारे, परन्तु उद्योगपति का नाम सदन में नहीं लिया जा सकता, जो और ऋण ले रहा है लाखों करोड़ रुपए का।

(3P/GS पर जारी)

GS-HK/3P/5.05

श्री नीरज शेखर (क्रमागत) : कुछ लोग तो ऋण लेकर भाग गए हैं, उनके बारे में भी मैं आपसे पूछ रहा हूं। किसान कब तक अपने लिए ऐसे ही ऋण मांगता रहेगा? हम लोग

कहते हैं कि किसान अन्नदाता है और उसके लिए सब कुछ किया जाएगा। माननीय मंत्री जी आपने जो कुछ कहा है, उसको मैंने सुना है। इसमें माइक्रो बहुत अच्छी चीज़ है। आज नौजवान खेती नहीं करना चाहता है, अगर हम उसको प्रोत्साहन देंगे, तभी वह खेती की ओर बढ़ेगा। आप नाबार्ड के माध्यम से माइक्रो, मीडियम और स्माल स्केल एंटरप्राइजेज़ को पैसा देंगे, तो उससे नौजवान आगे आएगा और मैं आपके इस कदम का स्वागत करता हूं। हम लोगों को इस बात पर भी ध्यान देना है कि यह ऋण उनको मिले। अगर नौजवान ऋण लेना चाहता है, तो उसको ऋण लेने के लिए कमीशन न देना पड़े। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों के पास सैकड़ों लोग आते हैं, जो कहते हैं कि भैया, हम ऋण क्या लें, उसका 20 परसेंट कमीशन के रूप में मैनेजर मांग लेता है। अगर कोई नौजवान ऋण लेने जाएगा और उसका पहले ही आधा पैसा ऋण लेने में चला जाएगा, तो वह क्या लगाएगा, क्या खाएगा, क्या बनाएगा? इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री तपन कुमार सेन : वह क्या वापस करेगा?

श्री नीरज शेखर : मैं इस बात को भी कहना चाहता था, लेकिन आदरणीय तपन जी ने मुझे फिर से एक प्वाइंट याद दिला दिया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नाबार्ड में कितना एन.पी.ए. है? कितने किसानों ने ऋण वापस नहीं किया है, यह मैं जानना चाहता हूं। इसमें भी कुछ न कुछ होगा? कितने किसान ऋण लेते हैं और कितने किसान ऋण वापस नहीं करते हैं? यहां पर पूरे देश की बात हो रही है। मेरा यह मानना है कि किसान अपना पूरा ऋण वापस करता है। मैंने इसके बारे में कई जगह पर

आंकड़ों को ढूंढ़ा है, लेकिन मुझे नहीं मिले हैं। आपके उत्तर में भी यह लिखा हुआ है कि हम इसका कोई डाटा नहीं रखते हैं कि किसान कितना ऋण वापस करता है। इसका कोई सेंट्रलाइज्ड डाटा नहीं है। इसको मैंने कई जगह पर ढूंढ़ने की कोशिश की है और मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं कि किसान कितना ऋण वापस कर रहा है? किसान इस देश का भला चाहता है, गरीब इस देश का भला चाहता है। वह जानता है कि अगर मैं ऋण वापस करूंगा, तो मुझे फिर से ऋण मिल पाएगा। यह बात मैं मानता हूं कि वह समय पर कभी ऋण वापस नहीं कर पाता है, उसमें कमी रह जाती है। ...(समय की घंटी)... सर, अभी एक मिनट का समय बचा है। सर, मैं अपनी पार्टी से अकेला ही बोलने वाला हूं। मैं यह कह रहा था कि ...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : आप अपने प्वाइंट पर आइए।

श्री नीरज शेखर : सर, मैं वहीं आ रहा हूं। मैंने माननीय मंत्री जी की बात सुनी है। अंत में, मैं यही कहना चाहता हूं कि नाबार्ड में बहुत सारे प्रावधान हैं। उसमें एक बहुत अच्छा प्रावधान यह है कि जब दैवी आपदा आती है, तो वह उसके लिए भी पैसा देता है। अभी हरिवंश जी ने जयप्रकाश नारायण जी की जन्मस्थली सिताबदियारा गांव का मुद्दा उठाया है। आज कटान से वह क्षेत्र कट रहा है। मैं जानता हूं कि कटान से लोगों को बहुत पीड़ा होती है। इस कटान को रोकने के लिए अगर चार या पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की जरूरत होती है, तो उसका प्रपोज़ल राज्य सरकार से नाबार्ड के पास जाता है। बलिया के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो नाबार्ड के पास गए हैं। देश के बहुत से प्रोजेक्ट्स नाबार्ड में जाते हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को पास होने में वहां पर कई महीने

का समय लग जाता है। कटान किसी के लिए रुकता नहीं है, पानी किसी के लिए रुकता नहीं है, गंगा किसी के लिए रुकती नहीं है और जब कटान शुरू हो जाता है, तो सारी चीज़ कट जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर दैवी आपदा के लिए आप पैसा देते हैं, तो उसको समय पर दीजिए। नियम ऐसा होना चाहिए कि अगर जून-जुलाई में बाढ़ आने वाली है, तो उसमें काम नवम्बर-दिसम्बर में हो। अगर आप मई में काम शुरू करेंगे और जून-जुलाई में बारिश आ जाएगी, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी के गांव के लिए नाबार्ड से पैसा मिले, इसको सभी लोग चाहते हैं। वहां पर उनका एक स्मृति-स्थल बना भी हुआ है, वह सब कटान में चला जाएगा। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि नाबार्ड के लोगों से यह भी कहा जाए कि जो ऐसे प्रपोज़ल्स उनके पास आते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक बार किसान का खेत कटान में चला गया, किसान का घर कटान में चला गया, तो वह दोबारा नहीं आ सकता है। आज किसान की पीड़ा यही है कि कटान में उसका खेत चला जाता है, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, ऐसा होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है।

(HMS/3Q पर जारी)

KSK/HMS/5.10/3Q

श्री नीरज शेखर (क्रमागत) : वह जानता है कि कल कटान से मेरा घर गिर जाएगा, वह अपने हाथ से अपना घर तोड़ता है और रोते-रोते तोड़ता है। वह घर, जिस में उसने अपनी संपत्ति और सालों जमा किया पैसा लगाया है, उसे तोड़ना पड़ता है। इसलिए

अगर आप उसे पैसा देने वाले हैं, तो समय पर दें ताकि कटान रुक सके और उसका घर और खेत बच सके। मैं मंत्री जी से यही आग्रह और विनती करना चाहता हूं।

महोदय, हम सब इस विधेयक के समर्थन में हैं, लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि आप इसे धरातल पर लागू करें, धन्यवाद। (समाप्त)

SHRI N. GOKULAKRISHNAN (PUDUCHERRY): First of all, I want to convey my heartiest New Year wishes to the hon. Vice-Chairman and to all my colleagues present in this august House.

Sir, the National Bank for Agricultural and Rural Development (Amendment) Bill, 2017, is a landmark step on two counts. Number one, the Bill increases the authorised capital of the apex body of agricultural and rural development by six folds, from the existing Rs.5,000 crores to Rs.30,000 crores. Number two, the Bill also seeks to amend certain clauses in the light of reference to MSME Development Act, 2006, and the Companies Act, 2013, in the proposed legislation.

Some political analysts say that if the NDA Government had been more sensitive to the farmers' demands, it would have performed better in the recently-concluded Gujarat Assembly elections. Okay; past is past. Now, I appreciate that by this step, the focus of the Government is shifted towards empowering the farmers rather than resorting to populist measures.

Sir, as far as promotion of agriculture is concerned, NABARD and SEBI should come forward to work together to improve farmers' participation by encouraging Farmer Producers' Organization in commodity exchanges and futures trading. This will enable the farmers to get better prices for their produce. The Government had already declared to double the agriculture income by the year 2022, which makes the role of NABARD even more critical in achieving this goal. The proposed increase in the authorised capital would enable NABARD to respond to the commitments it has undertaken, particularly in respect of the Long-Term Irrigation Fund, and the recent Cabinet decision regarding lending finance to co-operative banks.

Sir, the basic objective of NABARD is to create rural development programmes for alleviation of poverty and unemployment through creation of basic social and economic infrastructure, provision of training to rural unemployed youth and providing employment to the marginal farmers and labourers, to discourage seasonal and permanent migration to urban areas. But, actually speaking, youth are really migrating to urban areas, and the aged remain in rural India, struggling for day-to-day livelihood. With regard to poverty, I would like to mention here that the Rural Development Report,

which is also endorsed by the Government, says, "Seven per cent of the rural population is very poor and villages in Eastern India are worst affected."

It is to be noted that there are so many issues to be taken care of by the Government through NABARD with regard to rural development. Though the Government is spending a lot, still there is a lot to be achieved for rural development. For example, good roads for transportation, uninterrupted power supply, quality drinking water, better sanitary and health, good education, particularly literacy for women, are some of the important issues to be taken care of by NABARD through liberal financing.

(Contd. by 3R – GSP)

GSP-ASC/5.15/3R

SHRI N. GOKULAKRISHNAN (CONTD.): The low female literacy rate has had a dramatically negative impact on family planning and by promoting the female literacy rate, we can definitely reduce the population growth. Please note that this is very, very important point. Sir, why I want to mention this is that, on the one hand, the extent of agricultural land is shrinking day-by-day for many reasons, on the other hand, there is no proper control on rapid population growth.

Sir, my next point is that in the 1981 Act, the upper-lending limit of NABARD was only Rs. 20 lakhs for plant and machinery. Now, the Bill raises the limit for medium enterprises up to Rs. 10 crores in the manufacturing sector and up to Rs. 5 crores in the services sector.

Sir, in this regard, I would like to suggest an important thing that the Government may exclude the medium enterprises from the scope of finance through NABARD by retaining only micro and small enterprises, which will be helpful to create more employment opportunities for rural youth.

Even if the Government is pumping more capital, it would be difficult to maintain the capital if it starts lending finance to the medium enterprises, and, I am really afraid that the capital will be drained very fast. ...(Time-bell) I am concluding, Sir.

Sir, for medium enterprises, so many other banks, namely, the IDBI and other commercial banks, are available.

Coming to my last point, there is a mixed response with regard to 100 per cent equity of Central Government by totally delinking RBI which had a token share of 0.4 per cent. Now, it is really a moot question, how effectively RBI is going to function as a regulator in this changed scenario. With these words, I conclude and welcome the Bill. Thank you.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Now, Shri Manish Gupta.

SHRI MANISH GUPTA (WEST BENGAL): Sir, I rise to support this Bill. It is quite heartening to note that after a period of 70 years, a kind of light has emerged in which it is realized that we need to invest more in agriculture and also to promote integrated rural development. I think, the move to include micro and small industries under NABARD is a welcome move and is laudable.

But at the same time, we have to see that increasing the equity from 5,000 to 30,000 crores of rupees may not be sufficient because the butter is too thinly spread and one has to take a view to see whether proper finance is reaching the small and marginal farmers. NABARD mainly operates through the rural infrastructure development fund and we have found that in the last two years, there has been a shortfall in disbursement of funds under this programme.

Sir, NABARD can easily lend to new institutions like produce organizations and benefit a larger section of financially-excluded farmers.

Agriculture contributes 17 per cent of GDP and 50 per cent of the workforce in India is in the rural sector.

(Contd. by SK/3S)

SK/3S/5.20

SHRI MANISH GUPTA (CONTD.): We have also noticed that there is paucity of proper financial arrangements for farmers' property and funds. Commercial banks and cooperatives usually lend to the larger farmer and the finance does not reach the small and the marginal farmers. They usually borrow from moneylenders. Forty-eight per cent of our farming population borrows from moneylenders, from friends, from relatives, from landlords. This increases their indebtedness. We have also taken a view that farming is a zero sum game. If there is bad crop, there is devastation, which sometimes leads to suicides. We have seen what has happened in Mandsaur. We have seen farmers coming to Delhi with skeletons of their fallen comrades. But nobody from the Government went to meet them, nor any official was able to contact them. The Swaminathan Committee has said that farmers should be given Minimum Support Price plus 50 per cent. But recently we have noticed in the imposition of the GST, the tractors and

agriculture implements are being taxed at 12 per cent, tyres of those tractors are taxed at 28 per cent, fertilizer tax has increased from 1.03 per cent to 5 per cent, pesticides are taxed at 18 per cent. So, the farmer is beset with innumerable problems -- indebtedness, financial exclusion, no formal credit, poor MSP and poor procurement of the crop by the Government. This entire issue has been further aggravated by the fact that this year we had a record production of 30 million metric tons of pulses. This was sufficient to meet the domestic demand. But, we have observed that the Government of India imported 7 million metric tons and the prices of pulses crashed. This has adversely affected the farmers. The farmers' income has to be doubled by 2022, as declared by the Government of India.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

We know that in common parlance, economic planning is described several times as a set of measures taken by the Government to achieve pre-set targets in the minimum possible time. Sir, the agriculture growth rate today is 1.8 per cent. To achieve the target of doubling the farmers' income by 2022, we have to achieve growth rate of 10.8 per cent. This shows that even if we support the farmers the way it is being done now, there has to be a sea-change in the approach towards the small and marginal farmers.

Indebtedness of farmers arises from the fact that they do not get formal credit. They have to borrow at a high interest rate. This is bringing down the rate of production. This is making them poorer. This is not supporting the national effort. Financial inclusion is the most important issue and we feel that 80 per cent of agriculture credit peculiarly is given in the months of January, February and March, that is when the harvest is almost completed. Indebtedness of small farmers is in those who constitute 86 per cent and who holds less than one hectare of land. So, Sir, I would request the hon. Minister to consider whether a separate fund or whether a special wing of the NABARD could be set up to exclusively deal with the needs of small and marginal farmers. Thank you, Sir.

(Ends)

SHRI PRASANNA ACHARYA (ODISHA): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I also rise to support this Bill. Basically, there are three features in this Bill. The capital of NABARD is going to be increased by six times, that is, from Rs. 5,000 crores to Rs. 30,000 crores. And whatever little share the RBI has got in the NABARD is going to merge with that of the Government of India. The share capital held by the RBI will be transferred to the Union Government. Of course, this will remove the conflict in RBI's dual

role in NABARD, one as a banking regulator and, at the same time, as a shareholder.

(Contd. by YSR/3T)

YSR-KLG/5.25/3T

SHRI PRASANNA ACHARYA (CONTD.): This is also a very good proposition. I welcome it.

I remember when Mrs. Gandhi was the Prime Minister of this country during 1980-81. During the 70s, there was turmoil in our country and perhaps that was one of the reasons for the creation of NABARD. Whatever capital we put into NABARD, as Mr. Neeraj Shekhar has very rightly pointed out during his speech, unless we are able to check the farmer suicide, unless we are able to check the miseries of farmers, there is no meaning in it. NABARD is not financing the farmers directly. NABARD finances farmers, other agricultural sector and small industries through other network. Unless we are able to widespread the network of loan system, we are not going to help the poor farmers of this country.

Another apprehension, which is being expressed in many quarters, is this. And I also have that apprehension. Under the 1981 Act, NABARD is

responsible for providing credit and other facilities to industries having investment up to Rs.20 lakh in machinery and plant. This is for small industries and cottage-like industries. But this amendment Bill extends this to enterprises having investment up to ten crore rupees in manufacturing sector and five crore rupees in service sector. This provision creates a doubt in my mind whether small-scale industries and industries in the tiny and decentralised sector would be neglected and more emphasis would be given to comparatively bigger industries. That is my apprehension. I would request the hon. Minister to at least dispel the doubt in his reply.

Sir, NABARD, as I said, does not give loan to the farmers directly. It extends loans and assistance through cooperative banks and commercial banks. I particularly know what is happening in my State of Odisha. In my State, it is the cooperative banks which provide largest credit to the farmers. Most of the commercial banks are lagging behind in this respect. They are not at all interested in extending loan to the farmers. They are more interested in non-agricultural loan. The Reserve Bank of India and NABARD have to prescribe stricter guidelines on this.

Sir, of course, there has been a growth in agricultural credit. There is no doubt about it. During the last couple of decades, there has been

growth in agricultural credit in this country. While it was Rs.1.25 lakh crore in 2004-05, it has gone up to Rs.8.41 lakh crore in 2014-15. Now it has perhaps reached more than Rs.12 lakh crore. But it is a matter of concern that the share of term loan in total agricultural credit disbursement has declined steadily. And you will be surprised to know that it has declined from 39.3 per cent in 2004-05 to 19.5 per cent in 2014-15. It raises concern about sustainable growth in agricultural production and productivity. This is one of the reasons why there is agro-crisis in our country. NABARD has to come forward to mitigate this problem, although it is not directly financing the farmers.

Sir, another challenge before NABARD is to encourage capital formation in agriculture through increased share of long-term loans. As the corpus has been increased to Rs.30,000 crore from Rs.5,000 crore now, there should be immediate focus on irrigation projects which have potential to irrigate farm land. NABARD should take a holistic view relating to credit needs of our farmers. NABARD will be of some consequences if farmer suicide is prevented in this country. Every day there is a report of large-scale suicide by the farmers in all parts of the country and not just in a particular area. The Government has to take a serious view of it. Therefore,

as I suggested, we have to increase our loan disbursing network. Even now also private lending is rampantly going on in our country, particularly in the

rural areas. Private moneylenders are torturing the farmers and that is one of the reasons why more and more farmers are committing suicide.

Sir, this is a good Bill and I welcome this *in toto*.

(Ends)

(Followed by AKG/3U)

AKG-VKK/3U/5.30

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार) : उपसभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, सरकार नाबार्ड की वर्तमान अधिकृत रकम को 5 हजार करोड़ रुपए से बढ़ा कर 30 हजार करोड़ रुपए करने जा रही है। इससे नाबार्ड सशक्त होगा और विशेषकर देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अधिक ऋण उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। इससे नाबार्ड में RBI का शेयर भी केन्द्र सरकार के पास आ जाएगा। इस प्रकार सरकार नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योग-धंधों और किसानों को अधिक से अधिक सहायता एवं ग्रामीण काश्तकारों, कारीगरों, हस्तशिल्पों, कुटीर उद्योगों, कृषि सिंचाई योजनाओं एवं अन्य आर्थिक क्रियाकलापों के संवर्धन और विकास

के लिए उधार और अन्य सुविधाएँ देने में काफी सक्षम होगी। मेरा मानना है कि सरकार का यह कदम काफी लाभदायक सिद्ध होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की योजनाएँ शीघ्र पूरी होंगी, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

महोदय, मैं बिहार प्रदेश से आता हूँ। बिहार में कृषि की अपार संभावना है, किन्तु बाढ़ और सुखाड़ के कारण किसान बेहाल रहते हैं। इससे उनकी सभी लागत करीब-करीब बर्बाद हो रही है। राज्य में नाबार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 102 एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में 217 परियोजनाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं, जो अभी भी पूर्ण नहीं हुई हैं। इसी प्रकार WIF योजना के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा बिहार में 164 परियोजनाएँ स्वीकृत हैं, जो पूर्ण ऋण के लिए लंबित हैं। आशा है कि इन सभी परियोजनाओं का कार्य अब अविलंब प्रारम्भ होगा।

महोदय, नाबार्ड के गठन का मुख्य मकसद कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है। हैंडलूम, सिंचाई एवं मंझोले और छोटे उद्योगों को इससे अधिक ऋण मिलता है। आज देश में रोजगार बढ़ाने में यही क्षेत्र सबसे कारगर हो सकता है। खास तौर से देश के जो गरीब राज्य हैं, वहाँ लघु उद्योगों, छोटे और विकेन्द्रित सेक्टर में गाँवों के कुटीर उद्योगों में नाबार्ड के सहयोग से बड़ा बदलाव हो सकता है। इस तरह भारत के हस्तशिल्प, ग्राम और कुटीर उद्योगों को भी नाबार्ड से भारी मदद मिलेगी। दीर्घकालिक सिंचाई योजनाओं के पूरा होने से देश के कृषि उत्पादन में इजाफा होगा। इस तरह रोजगार

सृजन की स्थिति बनेगी। यह नाबार्ड संशोधन विधेयक ग्रामीण भारत और उसकी अर्थव्यवस्था को नया रूप देगा।

महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस महत्वपूर्ण नाबार्ड संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ और देश की जनता की जो पुकार है, उसके बारे में एक रचनाकार ने जो कहा है, उसे आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वह है,

"है पेट जहाँ खाली नर का,
उस घर में दीप जलेगा क्या,
जब घास न कोई देगा,
तो बूढ़ा बैल चलेगा क्या। "

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI TAPAN KUMAR SEN (WEST BENGAL): Sir, at the outset, I seek your indulgence for time. Time is too short. I need more.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your Party time is four minutes. You can take one more minute. Take five minutes.

श्री तपन कुमार सेन : सर, ठीक है, मैं जल्दी समाप्त कर दूँगा। On the whole, I stand not to oppose this Bill. Basically, the Bill contains transfer of RBI share to the Central Government and now the Central Government is 100 per cent owner of the entire NABARD share. I am fully satisfied with this and

on that count, definitely, I am supporting this Bill with a caution. Given the overall atmosphere, please do not put this into the track of disinvestment and strategic sale. That is the overall economic philosophy of the Government. Kindly save it from that. It is very crucial for rural credit, agricultural developmental credit. It is not only for the rural credit.

(Contd. by RL/3W)

-VKK/RL-SCH/5.35/3W

SHRI TAPAN KUMAR SEN (CONTD.): At the same time, NABARD is meant for rural infrastructural developmental credit. It has got an umbilical relationship with the RBI and the RBI also played, all along, an important role in monitoring the working of NABARD. In that situation, when the transfer of RBI is 0.4 per cent share, whether it will act on that. I urge upon the Finance Minister to kindly take care because RBI's close association in NABARD management is of crucial importance. Given the present situation, a very perverse,—I don't have any other word—in the distribution of rural and agricultural credit in our rural India, where more than 50 per cent of the farming community are out of institutional credit, they are victims to private moneylenders. In this kind of a situation and when you are working with a declared project of making the farmers' income double till 2022, the

background is that even after announcement of loan waiver, in one State alone, in a span of eight months, three thousand farmers have committed suicide. And, this is in one State alone. I don't like to name the State here. This is the background. Here, your project of doubling the farmers' income, if that is at all a serious one, needs that the whole working of the rural finance and agricultural support needs a overhauling and where NABARD can definitely play a very important role.

Now, let me put forth certain figures from the NABARD Annual Report itself. They are stating that Small and Marginal farmers' Account represents 56.9 per cent of the total accounts. But, credit flows to them is only 41 per cent. There is a mismatch. Secondly, more than 70 per cent of the agricultural credit is being disbursed by the urban branch of the commercial banks, urban centric branch of the commercial banks. It clearly shows that their reach in the remote village area is not taking place.

Number three is, small loans of Rs. 25,000 or more; this small loan in the total agricultural credit which was at one point of time, in the 90s, 61 per cent has now fallen to 6.7 per cent currently. In such a perversion in the whole credit distribution scenario, your project of doubling farmers' income needs a reversal of this trend in the fund distribution which requires much

more capitalization. You have put Rs. 30,000 crore, Authorized Capital. It needs to be increased beyond this capitalization. There must be a continuous flow of funds from the Central Government and also from the RBI. The RBI has a surplus, which has been there—that was the system—all along to the NABARD, to fund this rural infrastructural thing.

Another thing you must re-consider that at present, as a supplementary source of rural credit, the regional rural banks, who were operating at the direction of a sponsored commercial bank....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, your time is over.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Please, please, two minutes. That completely failed to change this perversion in the distribution of the credit in the rural scenario. It completely failed. What is important here is what I already stated in this House while participating in the deliberation on the RRB Bill that the situation demands an apex bank associating with NABARD for separate distribution of only rural credit.

(CONTD. BY DC/3X)

-RL/DC-RPM/3X/5.40

SHRI TAPAN KUMAR SEN (CONTD.): I can assure you, Sir, given the present pattern of NPAs, the NPA from the rural areas and the NPA from the

MSMEs represent less than 20 per cent of the total NPA. The entire 80 per cent of the NPA are big sharks, who breakfast and dine with who's who in the Government daily. Their faces are shown on the TV screen. It is they who steal the public money and make NPAs. These poor agricultural people and poor MSMEs are paying it back. That is their standard of integrity. Those big guys have no integrity at all. In this situation, unless you separate the whole rural credit system and set up an apex agricultural or rural credit institution separately, directly under RBI, associating NABARD and network of RRBs, definitely, this perversion in rural credit distribution cannot be effectively addressed. No element of this kind of amendment can change the perverse distribution of the rural credit unless there is a focused proactive intervention with a separate institutional arrangement. That is the only way, otherwise, *jumla* will continue of doubling the farmers' income. The Bill will be amended--we are not opposing the Bill--but, agricultural and agrarian crisis will increase, agrarian suicides will increase, and at the same time, the slogans of doubling the income of farmers will continue with a very high decibel. That is not the situation asked for and on that ground, I urge upon the Government, in this context to ensure that NABARD continues to have a very close umbilical relation with RBI so far as its leadership and

management is concerned. At the same time, long-term agricultural credit should be increased for capital formation in agriculture and this perversion in the distribution of rural credit must be corrected with immediate proactive initiative. With these words, I have put forth my observations on the Bill before the House. Thank you.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Veer Singh. Your party's time is only two minutes, but you may take four minutes.

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक NABARD की अधिकृत पूंजी को 5 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 हजार करोड़ रुपए करने के लिए आया है, जिसमें RBI के परामर्श के बाद, समयानुसार वृद्धि की जा सकती है। इससे NABARD आधारित कृषि उद्योगों को लाभ मिल सकेगा। इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और छोटे-छोटे उद्यमों से जुड़े कारीगरों को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। NABARD को अधिक पूंजी स्वीकृत किए जाने से वह अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से निभा पाएगा। ग्रामीण कारीगरों और श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर काम मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी।

महोदय, मैं किसानों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। छोटे एवं मंझोले किसानों को फसलों के लिए ऋण आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि

उनकी खेती का रकबा बहुत कम होने के कारण पूंजी का अभाव होता है। ऐसे में छोटे सूबे के किसानों को ऋण दिए जाने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। छोटे एवं मंझोले किसान, जो अपनी किस्तें जमा कर देते हैं, उन्हें ऋण-ब्याज में छूट दिए जाने की आवश्यकता है। उन्हें सब्सिडी दी जानी चाहिए, जिससे किसानों की समस्याओं का हल हो सके।

महोदय, छोटे किसान जो कैश फसल की खेती करते हैं, उन्हें भी ब्याज में छूट देने की जरूरत है और यदि संभव हो, तो ऐसे किसानों को ब्याज-मुक्त ऋण की सुविधा दी जाए, जिससे हमारे अन्नदाताओं में खुशहाली बढ़े। नाबार्ड के माध्यम से छोटे एवं मंझोले किसानों के लिए पंचायत स्तर पर बाजार की व्यवस्था की जानी चाहिए। किसानों के उत्पादों को स्टोरेज की भी सुविधा पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे किसान अपने उत्पाद बाजार में बेच सकें।

(3 वाई/पीएसवी पर जारी)

PSV-KS/3Y/5.45

श्री वीर सिंह (क्रमागत): महोदय, आज खेती मज़बूरी का धंधा हो गयी है। एक समय था कि खेती को सबसे अच्छा माना जाता था, किन्तु आज लोग खेती से बच रहे हैं और व्यापार की तरफ, नौकरी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि खेती में आज बहुत बड़ा घाटा हो रहा है।

माननीय उपसभापति महोदय, लोक सभा के चुनाव में माननीय प्रधान मंत्री जी ने चार बड़े वायदे किये थे। अच्छे दिनों का सपना दिखाया था, बेरोज़गारों को, शिक्षित

बेरोज़गारों को नौकरी का वायदा किया था और गरीब लोगों को विदेशों से काला धन लाकर 15 लाख रुपये देने का वायदा किया था। जो चौथा वायदा किया था, वह किसानों के लिए किया था। किसानों की फसल पर जो लागत आती है, उसका डेढ़ गुना देने का वायदा किया था, किन्तु डेढ़ गुना तो छोड़िए, आज किसान को फसल पर जो लागत आ रही है, वह भी नहीं मिल पा रही है। आज देश में सबसे बुरी हालत यदि किसी की है, तो किसान की है। किसान सबसे ज्यादा घाटे में है। आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। जो किसान पूरे देश के लोगों के खाने के लिए अनाज पैदा करता है, खाने के लिए सब्जी पैदा करता है, खाने के लिए फल पैदा करता है, वह सल्फास की गोली खाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। हमें इस पर ध्यान देना होगा। कम से कम किसानों की तरफ हमें ध्यान देना होगा।

महोदय, मैं महाराष्ट्र की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में आज सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि महाराष्ट्र में किसान जो ऋण लेता है, वह साहूकारों से लेता है और साहूकारों का ब्याज इतना ज़बर्दस्त है, इतना ज्यादा है कि उसको वह अदा नहीं कर पाता है। उसे सरकार की योजनाओं का भी फायदा नहीं होता है। जैसे कि आज किसानों की ऋण माफी की गई है, तो जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वहाँ से जिन्होंने लोन लिया है, उन्हीं का ऋण माफ होगा, किन्तु महाराष्ट्र का गरीब किसान ज्यादातर लोन साहूकारों से लेता है और साहूकार उस श्रेणी में नहीं आते, इसलिए उनका कर्जा माफ नहीं हो पाता है। ...(समय की घंटी)...

इसलिए जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है, तो वह आत्महत्या कर लेता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस ओर ध्यान देना चाहिए।

महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70 प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। यदि हमें देश की तरक्की करनी है, तो ...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापतिः ठीक है, ठीक है।

श्री वीर सिंहः सर, मैं बस एक मिनट लूँगा।

श्री उपसभापतिः तीन मिनट ज्यादा हो गये।

श्री वीर सिंहः यदि देश की तरक्की करनी है, तो हमें गाँव की तरक्की, किसानों की तरक्की करनी होगी, क्योंकि देश की तरक्की गाँवों से, खेत-खलिहान से होकर गुजरती है। किसान खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा, तो शहर भी खुशहाल होंगे। शहर, मजदूर और गाँव खुशहाल होंगे, तो देश तरक्की करेगा। इसलिए हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो छोटे-छोटे कुटीर धन्धे हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

महोदय, आज किसान landless होता चला जा रहा है। जो छोटे उद्योग हैं, जैसे हमने 8,000 करोड़ की व्यवस्था की है, ...(समय की घंटी)... तो उसमें हमें सबसे ज्यादा पशुपालन पर, दूध-डेयरी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जमीन तो कम होती चली जा रही है। आज लोग ज्यादा मजदूर होते चले जा रहे हैं, तो हम लोगों को, हमारी सरकार को उस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ...(समय की घंटी)... उनको ब्याज मुक्त ऋण देना चाहिए। हमें उस ओर ध्यान देना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please. That is all right.

श्री वीर सिंह: मैंने जो सुझाव दिये हैं, उस ओर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे। इसके साथ इस बिल का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. We go to the next speaker, Shri Ram Kumar Kashyap. Your time-limit is four minutes, but you can take five minutes.

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा): सर, आपने मुझे नाबार्ड बिल, 2017 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

सर, यह बिल नाबार्ड कानून, 1981 में संशोधन के लिए लाया गया है। इसमें संशोधन के बाद नाबार्ड की अधिकृत पूँजी, जो अभी 5,000 करोड़ है, वह 5,000 करोड़ से बढ़ कर 30,000 करोड़ रुपये हो जायेगी। इसके बाद जरूरत पड़ने पर यह जो पूँजी है, यह आरबीआई से सलाह लेने के बाद 30,000 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है।

(3ज़ेड/वीएनके पर जारी)

VNK-KGG/3Z/5.50

श्री राम कुमार कश्यप (क्रमागत) : इससे नाबार्ड की वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी और यह गांवों के लिए, किसानों के लिए ज्यादा ऋण दे सकेगा, जो हमारे देश के हित में होगा। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिए ऋण जैसी

सुविधाएं प्रदान तो करता है, लेकिन इस संशोधन के बाद नाबार्ड अब गांवों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए भी ऋण दे सकेगा, जिससे हमारे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो गांवों के विकास में एक अहम योगदान दे सकेगा।

बिल में संशोधन के बाद नाबार्ड में आरबीआई की जो हिस्सेदारी थी, वह अब खत्म हो जाएगी। इससे केन्द्र और आरबीआई के बीच जो टकराव रहता था, वह भी खत्म हो जाएगा, इसलिए यह भी देश के हित में होगा।

नाबार्ड से गांवों का विकास होगा, किसानों को ज्यादा लोन मिलेगा, छोटे-छोटे उद्योगों के लिए लोन मिल सकेगा, जिनसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मैं दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ।

सर, हमारा देश गांवों का देश है। यहां की ज्यादा आबादी गांवों में निवास करती है और उनमें से ज्यादातर यानी 70 प्रतिशत लोग खेती करते हैं, परंतु जैसा कि माननीय सदस्य, वीर सिंह जी ने कहा है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि आज खेती करना घाटे का सौदा हो गया है। आज बीज महंगे हो गए हैं, खाद महंगी हो गयी है, पेस्टिसाइड महंगा हो गया है। मैं भी पीछे गांव में गया था, आज किसानों की सबसे बड़ी समस्या गेहूं में पैदा हो रहे खर-पतवार हैं। तीन-तीन बार पेस्टिसाइड डालने के बाद भी खर-पतवार खत्म नहीं हो रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए हमारा किसान घाटे में चला जाता है। आज जो किसान समझदार है, ज्ञानवान है, वह अब खेती करना छोड़ दिया है और वह अपने बच्चों को लेकर शहरों में चला गया है। अब खेती कौन करता है? जो गरीब मजदूर आदमी वहां पर रह गए हैं, वही खेती करते हैं। चूंकि

अब खेती करना बहुत महंगा हो गया है, इसलिए मैं भी वही सुझाव देना चाहूंगा, जो वीर सिंह जी ने कहा है कि अगर हमें गांवों को आगे बढ़ाना है, किसानों को आगे बढ़ाना है, तो हमें किसानों को खेती के साथ-साथ पशुपालन करने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके लिए माननीय मंत्री जी को मेरा यह सुझाव है कि नाबार्ड पशुपालन के लिए ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट लोन दे। आज हमारे देश में शुद्ध दूध नहीं मिलता है, 60 प्रतिशत दूध मिलावटी दूध है, पशुपालन को प्रोत्साहित करने से वहां पर ज्यादा डेयरीज़ लगाई जाएंगी और इससे शुद्ध दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। अगर दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, तो इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और वह हमारे सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा।

सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को सुझाव देना चाहता हूँ कि नाबार्ड के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोन पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए दिया जाए। इससे गांवों में किसानों में जो बेरोजगारी है, छुपी हुई बेरोजगारी है, वह खत्म होगी। जो हमारे नौजवान भाई हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, आज वे छोटी-छोटी नौकरी करने के लिए तरस रहे हैं, वे contract basis पर, outsourcing base पर लगने के लिए तैयार हैं, इसलिए अगर उनकी बेरोजगारी को खत्म करना है, तो गांवों में पशुपालन को बढ़ावा देना होगा और इसमें नाबार्ड बहुत अहम योगदान दे सकता है। जो ज्यादा पैसा बढ़ाया गया है, अगर उसको पशुपालन को बढ़ाने में लगाया जाएगा, तो यह ज्यादा अच्छा होगा।...(समय की घंटी)...

सर, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि अब नाबार्ड का जो एक नया बोर्ड बनेगा, उसमें कम से कम राज्य सभा के दो एमपीज़ भी लिए जाएं, धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, NABARD, the National Bank for Agriculture and Rural Development, was established in 1981 by an Act of Parliament. The Statement of Objects and Reasons of the present Bill makes it very clear, 'with its expanding activities, the National Bank needs to be provided with additional equity from time to time to enable it to meet its objectives of promoting rural development and sustainable rural prosperity.' Then, it goes on to state, 'The Reserve Bank of India holds 0.4 per cent of the paid-up capital of the National Bank and the remaining 99.6 per cent is held by the Central Government and this causes conflict in Reserve Bank of India's role as banking regulator and shareholder in the National Bank."

(Contd. by KLS/4A)

KLS/4A/5.55

SHRI D. RAJA (CONTD): Then it goes on to state, 'to empower the Central Government to increase the authorized capital of the National Bank from Rs.5,000 crores to Rs.30,000 crores and further to increase the said amount of Rs.30,000 crores in consultation with the Reserve Bank of India as

deemed necessary from time to time." Taking this into consideration, I would like to raise a couple of questions, pointed questions which the Government needs to respond, needs to answer. For instance, so far the original Act provides the Government and the RBI together should hold a minimum of 51 per cent of the capital in NABARD. Is there any proposal to increase the capital? The Government should be maintaining minimum 51 per cent of the capital in NABARD. At the face of it, it looks very simple to me. Will it enable NABARD to sell its share capital up to 49 per cent to private hands? This is my doubt. The Government should clarify as to what is the intention of the Government. Today there is no private capital in NABARD. Is it the idea of the Government to increase the share capital by allowing private shareholding in NABARD? This is number one. Number two, if it is so, it should be abandoned. NABARD has an important role in monitoring and regulating agricultural and rural credit. It should be totally owned by the Government. I would like to seek clarification from the Government whether the Government wants to dilute the share capital in NABARD. Unless NABARD is strengthened, you cannot talk about rural prosperity, you cannot talk about expanding rural activities, you cannot talk about doubling the income of farming community, you cannot talk about

providing minimum support price to the farmers, you cannot talk about increasing the number of working days for agriculture workers. What is the intention of the Government? The Government should be clear in what it does. It is all right that the Parliament will pass the Bill, but what are going to be the implications? How is it going to impact the life of the farming community in our country? How is it going to generate employment in rural areas, how NABARD is going to play a proactive role in building rural economy? That is what the Government should explain. This is what I want to know from the Government and I want a serious review of Government policies. The Government should explain these things to people and the country. All the time we talk about NABARD. Finally, what is NABARD? How is it helping the farming community? Why is it not helping the farming community? What are the difficulties NABARD is facing? You should explain it to the Parliament and to the country. I think there are strong apprehensions that you will allow NABARD to go into private hands and you will see that the NABARD is diluted. If it happens that will be a calamity for our rural economy and for the country. The Government should keep this in mind. With these words, I conclude. Thank you, Sir. (Ends)

(Followed by 4B/SSS)

***Pp 275 onwards will be issued as supplement.**